न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–डॉ एस.पी.सिंह (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 20/2017

बउनवान

मुरारी उर्फ कृष्णमुरारी पुत्र श्री प्रहलाद आयु 38 वर्ष जाति–बाबरिया मोग्या
निवासी–मोग्या बस्ती वार्ड नं0 1 सीसवाली तहसील–मॉगरोल
जिला–बारां (राज0) **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,मॉगरोल **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री हरीओम चतुर्वेदी, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक 16.10.2017

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल के आदेश दिनांक 09.06.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–सीसवाली, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 1294 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म सिवायचक बारानी III पर पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण करने का दोषी मानकर 250/–रूपये अर्थदण्ड एंव अवैध निर्माण को हटाकर, बेदखली के आदेश पारित किये गये है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर मौजूद तथ्यों एवं दस्तावेजात् के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। वाके माल सीसवाली के हाल खसरा नम्बर 1847 रकबा 3.54 है0 आबादी क्षेत्र है। उक्त आराजियात् की 0.40 है0 भूमि पर 20–25 वर्षा से अपीलांट एवं अन्य कमजोर आर्थिक स्थिति के गरीब व्यक्तियों के मकान बने हुये है जो मोग्या बस्ती ग्राम सीसवली के वार्ड नं0 1 का आबादी विस्तार क्षेत्र है। इनमें से ख0नं0 1847 क्षेत्रफल 0.40 है0 उप तहसील भवन सीसवाली हेतु निःशुल्क आवंटन की गयी थी। आवंटित भूमि पर उपतहसील भवन निर्मित है। अपीलांट ग्राम सीसवाली के विस्तारित आबादी क्षेत्र में बने हुये आवास में अपने परिवार सहित विगत 20 वर्षो से निवास करता चला आ रहा है। अपीलांट एवं अन्य पडौसियों के आवास,जनसंख्या एवं मतदाता सूची में चिन्हित है। उक्त मकान पर हीं अपीलांट का राशनकार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड बने हुये है। अपीलांट के इस मकान के अलावा अन्य कोई रिहायशी परिसर नहीं है। अपीलांट अति गरीब एवं अल्प वर्ग का व्यक्ति है जिसने कर्ज लेकर अपना घर निर्मित किया है। ख0नं0 1847 की आराजी किस्म बंजड आबाद क्षेत्र होने से आबादी में रूपान्तरित होकर नियमन किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मॉगरोल का आदेश दिनांक 09.06.2016 निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अपील में अपीलांट द्वारा स्थगन चाहे जाने पर, प्रकरण में प्रश्नगत आराजी की ख0नं0 1847 रकबा 3.94 है0 के संबंध में तहसीलदार, मॉगरोल से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख एवं वांछित मौका रिपोर्ट दिनांक 09.01.2017 प्राप्त होने पर, मूल अपील में विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विवादित आराजी ख0नं0 1847 रकबा 3.94 है0 के 0.01 है0 में रिहायशी मकान बनाने का दोषी मानकर बेदखली के आदेश पारित किये है। विवादित आराजी पर अपीलांट का लगभग 20–25 वर्षो से रिहायशी मकान बना हुआ है। अपीलांट के अलावा लगभग 35 अन्य गरीब, निर्धन परिवार रिहायशी मकान बनाकर परिवार सहित निवास कर रहे है। उक्त आराजी आबादी क्षेत्र है, जो विगत 20 वर्षो से रिहायशी उपयोग में आ रहा है। उक्त खसरा नम्बर 1847 का काफी बड़ा रकबा है। अपीलांट व अन्य व्यक्ति उक्त भूमि की कुछ हिस्से पर हीं रिहायशी मकान निर्मित है। उसमें से 0.40 है0 भूमि उपतहसील भवन सीसवाली को आवंटित की गयी है तथा 1.00 है0 भूमि बीज भण्डार के लिये आरक्षित रखी गयी है।

साथ हीं कथन किया कि अपीलांट गरीब व्यक्ति है जिसके इस रिहायशी मकान के अलावा अन्य कोई रिहायशी घर नहीं है। विवादित आराजी ग्राम सीसवाली की आबादी क्षेत्र की भूमि है, जिसपर पूर्व से हीं कई व्यक्ति आवास बनाकर निवास कर रहे है। यदि निर्णय की पालना में उक्त रिहायशी मकान से बेदखल किया गया तो परिवार बेघर हो जायेगा जिसकी किसी भी सूरत में भरपायी संभव नहीं है। अतः न्यायहित अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मॉगरोल का आदेश दिनांक 9.6.2016 निरस्त फरमाया जाकर, विवादित आराजी पर बने रिहायशी मकान क्षेत्र को ग्राम पंचायत आबादी विस्तार में लेकर, निर्मित रिहायशी मकान को वैध करार कर, आबादी पट्टे/नियमन किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान पेरोकार सरकार ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये व्यक्त किया कि ग्राम सीसवाली में विवादित आराजी ख0नं0 1847 रकबा 3.54 है0 काफी बडा रकबा है, जो स्टेट हाईवे पर स्थित है। उक्त भूमि रोड पर होने से बेशकीमती भूमि है, जिसमें कई व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर, रिहायशी मकान बना रखे है। इस भूमि में से 0.40 है0 भूमि उप तहसील भवन सीसवाली के लिये आवंटित हुई है तथा 1.00 है0 भूमि राज. राज्य बीज निगम के बीज विस्तार केन्द्र के लिये प्रस्तावति कर रखी है। अपीलांट ने उक्त आराजी पर अवैध निर्माण कर रखा है। विवादित आराजी भविष्य में राजकीय एवं सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग के लिये आरक्षित भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

उक्त आराजी पर अवैध तरीके से रिहायशी मकान बनाकर अतिक्रमण करने का दोषी पाये जाने पर, बेदखली के आदेश पारित किये गये है। अपीलांट को उक्त आराजी से बेदखल किया जाना आवश्यक है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य तर्क है कि उक्त आराजी पर रिहायशी मकान बने होने से उक्त आराजी को आबादी विस्तार में लेकर, भूमि का नियमन किया जावें। जबकि पेरोकार सरकार का मुख्य तर्क है कि उक्त आराजी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग की भूमि है। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली एवं तहसीलदार, मॉगरोल की मौका रिपोर्ट दिनांक 09.06.2016 के अवलोकन से पाया जाता है कि ग्राम सीसवाली तह. मॉगरोल में आराजी खसरा नम्बर 1847 रकबा 3.54 है0 सिवायचक खाता सरकार दर्ज है जिसमें से कुछ भूमि पर अपीलांट व अन्य व्यक्तियों द्वारा अपने रिहायशी मकान बनाकर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। इस भूमि में से 0.40 है0 भूमि पर उप तहसील सीसवाली का भवन निर्मित है तथा 1.00 है0 भूमि बीज विस्तार केन्द्र सीसवाली के लिये आरक्षित रखी गयी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त आराजी जिसका 3.54 है0 रकबा है, सम्पूर्ण भूमि राजकीय सिवायचक भूमि है, जो राजकीय प्रयोजनार्थ एवं सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि है। अपीलांट द्वारा उक्त राजकीय भूमि पर अवैध एवं बिना आज्ञा से रिहायशी मकान निर्मित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मॉगरोल द्वारा अपीलांटा को बाद जॉच प्रश्नगत राजकीय भूमि पर अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप बेदखली एवं शास्ति अधिरोपित की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहींन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल का आदेश दिनांक 09.06.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2017 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)